भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.1637

जिसका उत्तर 28.11.2019 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतें

1637. श्री शिशिर कुमार अधिकारीः

श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 2015 से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शहर की ओर जाने वाले राजमार्ग सबसे घातक/दुर्घटना-प्रवण मार्ग हैं;

(ग) यदि हां, तो शहर की ओर जाने वाले ऐसे सबसे खतरनाक राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जहां विगत पांच वर्षों के दौरान इस तरह की दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और उनसे बचने के लिए क्या उपाय किए गये हैं/किये जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): मंत्रालय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दों का विश्लेषण करता है। कलैंडर वर्ष 2018 के लिए सड़क दुर्घटनाओं की नवीनतम डेटा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। पिछले तीन कलैंडर वर्ष अर्थात 2015 से 2018 के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे तालिका में दी गई है: -

वर्ष	**सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या**
2015	**1,46,133**
2016	**1,50,785**
2017	**1,47,913**
2018	**1,51,417**

(ख) और (ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त सड़क दुर्घटनाओं के आंकडों के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों का भी विश्लेषण करता है पिछले तीन वर्षों तक देश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं तथा धातकताओं की कुल संख्या नीचे दी गई है।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं		2016	2017	2018
कुल दुर्घटनाएं	शहरी	216813	195723	190956
	ग्रामीण	563839	269187	276088
मारे गए व्यक्ति	शहरी	57840	51334	51379
	ग्रामीण	92945	96579	100038

(घ): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में जागरुकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस तैयार करने, कुशल परिवहन के अनुप्रयोग मानक सहित सुरक्षित सड़क संरचना को बढ़ावा देने, सुरक्षा कानूनों आदि का प्रवर्तन जैसे विभिन्न नीतिगत उपाय रेखांकित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मसलों से निपटने के लिए 4 ई अर्थात शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित बहु-आयामी कार्य-नीति तैयार की है। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा के लिए जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में संसदीय संविधान समिति गठित की है।

मंत्रालय ने परिवहन की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली की जांच करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के मुद्दों पर सुझाव देने के लिए राज्य परिवहन मंत्रियों के समूह का गठन किया है। मंत्री समूह की सिफारिश के आधार पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा के संपूर्ण पहलू शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i जागरुकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।

ii गुड स्मारिटन की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

iii राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

iv स्वचालित प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए 24 परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की संस्वीकृति।

v राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, जिसका नाम “सुखद यात्रा 1033” है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

vi राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

vii सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

viii राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।

ix वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए हैं।

x राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

xi मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

xii दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

xiii भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xiv माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

*****